रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2017/चैत्र 16, 1939
No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2017/CHAITRA 16, 1939

IndiaCode

jkthoxk/khfo'ofo|ky;

vf/klpuk

अरूणाचल प्रदेश, 3 अप्रैल, 2017

l-,Mh,e&01@,lch@2000&01-&निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.––

v/;;ufoHkkxkavkjdUnzkLFkkuk dsfu;r dk;

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 15 (1) के अंतर्गत)

1. समाजिक विज्ञान संकाय

I. दर्शनशास्त्र विभाग
II. इतिहास विभाग
III. राजनीतिविज्ञान विभाग
IV. समाजशास्त्र विभाग
V. जनजाति अध्ययन विभाग
VI. नृविज्ञान विभाग
VII. पर्यटन केन्द्र
VIII. महिला अध्ययन केन्द्र
IX. दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केन्द्र
X. क्षेत्रीय विकास केन्द्र
XI. मानवाधिकार और कर्तव्य केन्द्र
XII. जनसंख्या अध्ययन केन्द्र

2. भाषा संकाय

I. अंग्रेजी विभाग
II. हिन्दी विभाग
III. भाषा विज्ञान विभाग
IV. विदेशी भाषा केन्द्र
V. भाषा अध्ययन केन्द्र

3. शिक्षा संकाय

I. शिक्षा विभाग
II. मनोविज्ञान विभाग
III. शिक्षक शिक्षा विभाग
IV. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा केन्द्र
V. मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग केन्द्र
VI. शिक्षा प्रौद्योगिकी केन्द्र

4. वाणिज्य और प्रबंध अध्ययन संकाय

I. वाणिज्य विभाग
II. व्यापार प्रबंधन विभाग

5. पर्यावरण विज्ञान संकाय

I. भूगोल ज्ञान विभाग
II. भू-विज्ञान विभाग
III. जैव-पर्यावरण विभाग
IV. रसायन और भौतिक पर्यावरण केन्द्र
V. आपदा प्रबंधन केन्द्र
VI. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर

6. विधि संकाय

I. विधि विभाग
II. लोक कार्य विभाग
III. बौद्धिक सम्पदा और स्वदेशी ज्ञान केन्द्र

7. भौतिक विज्ञान संकाय

I. भौतिक विज्ञान विभाग
II. गणित विज्ञान विभाग
III. रसायन विज्ञान विभाग

8. जीवन विज्ञान संकाय

I. वनस्पति विज्ञान विभाग
II. प्राणि विज्ञान विभाग
III. जैव-रसायन विभाग
IV. रसायन और भौतिक पर्यावरण विभाग
V. वन्य जीव संरक्षण केन्द्र
VI. जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र
VII. जैव विविधता केन्द्र

9. सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

I. कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
II. जन संचार विभाग
III. पुस्तकालय विज्ञान विभाग
IV. मीडिया एवं सांस्कृतिक अध्ययन हेतु
V. पत्रकारिता और जनसंचार (जेएमसी) केन्द्र
VI. विडियो एप्लीकेशन और विज्ञापन केन्द्र (वीएए)

10. औषधि संकाय

I. चिकित्सा कॉलेज-सह-अस्पताल
II. आयुर्वेदिक कॉलेज-सह-अस्पताल
III. होम्योपैथिक कॉलेज-सह-अस्पताल

IndiaCode

IV. नर्सिंग कॉलेज
V. हर्बल और वैकल्पिक औषधि केन्द्र
VI. भोजन, पोषण और स्वच्छता केन्द्र

11. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय

I. इंजीनियरिंग कॉलेज
II. अप्लाइड भौतिक विज्ञान केन्द्र

12. विश्वविद्यालय में किसी संकाय के अंतर्गत समय-समय पर स्थापित कोई अन्य विभाग/केन्द्र

विभागीय परिषद की स्थापना

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) (ठ) के अंतर्गत)

1. विभागीय परिषद में निम्न शामिल होंगे
 (i) विभागाध्यक्ष
 (ii) विभाग के सभी अध्यापक

2. विभागाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष होगा और परिषद की बैठकों को संयोजित करेगा।

3. परिषद की शक्तियां और कार्य निम्नानुसार होंगे:

 (क) विभाग में शिक्षण और शोध कार्य समन्वित करना;
 (ख) विभाग के दैनिक कार्यकलाप पर निर्णय करना;
 (ग) अध्ययन पाठ्यक्रमों से संबंधित मामलों को कुलपति को संस्तुत करना;
 (घ) विभाग में चल रहे कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना और संरचना का संशोधन (यदि कोई हो,) कुलपति को संस्तुत करना;
 (ड.) सेमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रमों की कवरेज की प्रगति का मूल्यांकन करना;
 (च) संकाय सदस्यों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को साझा करने का निर्णय लेना;
 (छ) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों के साथ बैठकों के निर्णय संकाय सदस्यों को सूचित करना;
 (ज) अध्येताओं द्वारा शोध प्रस्ताव जमा कराने पर, विभागीय शोध समिति की बैठकें आयोजित करना;
 (झ) पाठ्यक्रम, परीक्षा और उपस्थिति पात्रता इत्यादि से संबंधित मामलों पर विभाग के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना;
 (ञ) परीक्षा शाखा को प्रस्तुत करने से पहले, आंतरिक सत्रीय अवार्ड को सुधारना;
 (ट) समय-समय पर विभाग की भौतिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना;
 (ठ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का कार्यान्वयन करना;
 (ड) पुस्तकों, उपकरणों, फर्नीचर इत्यादि से सबंधित सभी खरीदों का निर्णय लेना;
 (ढ) रोटेशन के माध्यम से दो अध्यापकों द्वारा विभाग का वार्षिक स्टॉक प्रमाणन करवाना।

4. (क) परिषद एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार बैठक करेगी
 (ख) बैठक के लिए नोटिस कम से कम तीन दिन पहले सूचित होगा, यदि यह एक आपात बैठक नहीं है तो।
5. विभाग के दो-तिहाई संकाय सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) बनाएंगे।

ndiaCode

6. विभाग के भीतर अंतर होने या किसी विशिष्ट प्रकरण के मामले में, मामले को कुलपति को भेजा जाएगा, जो उसे निर्णय के लिए कार्यकारी परिषद की अगली बैठक के समक्ष रखेगा। आपातकाल के मामलों में, कुलपति प्रकरण पर निर्णय लेंगे और संशोधन के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

डीन समिति

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत)

1. लघु शीर्षक

विश्वविद्यालय डीन की एक समिति गठित करेगा जिसे डीन समिति कहा जाएगा।

2. समिति का गठन

डीन समिति में निम्न शामिल होंगे:

(i) कुलपति-अध्यक्ष, (पदेन)

(ii) संकायों के सभी डीन – सदस्य, (पदेन)

(iii) रजिस्ट्रार-सचिव

3. कार्य

समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:

(i) अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/अध्ययन हेतु अवकाश/असाधारण अवकाश के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की सिफारिश करना;

(iii) परीक्षा के संचालन, शिक्षण और शोध के मानक के मामलों पर विचार करना;

(iv) संकाय और विभागों के कार्यों से संबंधित सामान्य प्रशासनिक मामलों पर विचार करना; और

(v) विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम/नवाचार आरंभ करने के लिए बीपीजीएस/ शैक्षणिक परिषद को सुझाव देना;

(vi) एमेरिट्स/विजिटिंग प्रोफेसर/अध्येता की नियुक्ति से संबंधित विभागीय प्रस्तावों पर विचार करना;

(vii) पीएच.डी शोध कार्य के लिए पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक की मान्यता से संबंधित मापदंड निर्धारित करना और पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के नाम संस्तुत करना;

(viii) ऐसे अन्य मामले जो कार्यकारी परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएं या कुलपति को भेजे जाएं या उनके द्वारा सौंपे जाएं।

4. बैठकें

समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा संयोजित की जाएंगी।

5. गणपूर्ति

समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का आधा होगी।

6. कार्य नियम

बैठकों के आयोजन के नियम इस संबंध में निर्धारित विनियमों के अनुसार होंगे।

IndiaCode

संकायों के डीन की शक्तियां तथा कार्य

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 5 के अंतर्गत)

1. प्रत्येक संकाय के लिये एक डीन होगा जिसकी नियुक्ति उपकुलपति द्वारा संकाय में कार्यरत प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम (रोटेशन) में तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और यदि संकाय में केवल एक प्रोफेसर कार्यरत है तो वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

2. संकाय के डीन:

(क) विभाग प्रमुखों के माध्यम से संकाय में शिक्षण एवं शोध कार्य का समन्वय एवं सामान्यत: पर्यवेक्षण कार्य करेंगे।

(ख) विभाग प्रमुख (प्रमुखों) के माध्यम से विभागों में अनुशासन बनाए रखेंगे।

(ग) पुनश्चर्या/अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों में भाग लेने, अन्य विश्वविद्यालयों में पदों के आवेदन हेतु शिक्षकों की अनुशंसा करेंगे।

(घ) उप कुलपति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित संकाय में विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(ड.) संकाय बोर्ड की बैठकों को आयोजित करेंगे एवं इनकी अध्यक्षता करेंगे और बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त का रिकार्ड रखेंगे।

(च) शैक्षणिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् अथवा उप कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे गए शैक्षणिक/प्रशासनिक कार्य निष्पादित करेंगे।

3. डीन विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे (अधिनियम में यथा उल्लिखित)

महाविद्यालय विकास परिषद् की शक्तियां और कार्य

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अंतर्गत धारा 25)

1. उद्देश्य

महाविद्यालय विकास परिषद् (सीडीसी) के पद के सृजन का मुख्य उद्देश्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को नेतृत्व भूमिका प्रदान करने और सहायता, मार्गदर्शन तथा सलाह देने के उद्देश्य से किया जाएगा।

2. नियुक्ति की निबंधन और शर्तें

I. कुलपति, विश्वविद्यालय विभाग के प्राध्यापक को एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा। तथापि, कुलपति उसे दूसरी अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।

II. निदेशक कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए निश्चित मासिक मानदेय पर कार्य निष्पादन करेगा।

III. निदेशक के रूप में, महाविद्यालय विकास परिषद् को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के बीच उच्च शिक्षा के मामलों में संपर्क सूत्र का कार्य करना होगा, निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सूचना निदेशक, उच्चतर शिक्षा; सचिव शिक्षा; अरूणाचल प्रदेश सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली और माननीय कुलाधिपति को देनी होगी।

IV. विश्वविद्यालय से महाविद्यालय के साथ शैक्षिक मामलों से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार महाविद्यालय विकास परिषद् से होंगे अथवा महाविद्यालय विकास परिषद् के कार्यालय के माध्यम से किए जाएंगे।

V. वे महाविद्यालय मामलों से संबंधित मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा गठित सभी समितियों के सदस्य होंगे।

VI. उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अदायगी निधि; सभी अवसरंचनात्मक तथा अन्य सहायता जैसे लिपिकीय, IV श्रेणी स्टाफ प्रदान किए जाएंगे।

3. कार्य

निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद् निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा :

IndiaCode

(क) विशेष रूप से महाविद्यालयों को यूजीसी एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों के साथ संपर्क बनाने के लिए सहायता और सलाह देगा, महाविद्यालयों को वित्तीय एजेंसियों की विभिन्न परियोजनाओं की सूचना उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार, यूजीसी तथा अन्य वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण किए जाने वाली विकास परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता करेगा।

(ख) सामान्यत: विश्वविद्यालय का सभी कॉलेजों के शासी निकाय में प्रतिनिधित्व करेगा और कुलपति इस संबंध में कॉलेज प्राधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए निदेशक की नियुक्ति करेगा।

(ग) कॉलेज के विकास और शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करेगा और कॉलेजों में सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा।

(घ) प्रत्येक कॉलेज का अद्यतन प्रोफाइल तैयार करेगा और छात्रों की संख्या, उपलब्ध संकाय तथा पढ़ाए जा रहे विषयों के संदर्भ में संबंधित कॉलेजों की वास्तविक सुविधाओं का आवधिक आकलन करेगा तथा इनमें सुधार हेतु राज्य सरकार को सिफारिशें प्रेषित करेगा।

(ड.) संबंधित कॉलेजों के परिणामों की समीक्षा करेगा तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा के सामान्य मानकों में सुधार हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगा।

(च) संबंधित कॉलेजों के सामयिक तथा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और कुलपति के परामर्श से, जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा।

(छ) नए कॉलेज, विषय शुरू करने तथा अस्थायी/स्थायी संबद्धन हेतु निरीक्षण समितियों के गठन में कुलपति को सलाह देगा। निदेशक, सीडीसी इन समितियों का अध्यक्ष होगा।

(ज) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग और कॉलेजों में शैक्षणिक संकायों के बीच घनिष्ठ तथा सतत संपर्क एवं बातचीत सुनिश्चित करेगा।

(झ) शैक्षणिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् अथवा कुलपति द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य करेगा।

4. इन प्रावधानों से उत्पन्न किसी भी समस्या का समाधान कुलपति द्वारा किया जाएगा।

प्रो. राचोब ताबा, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./01/17]

RAJIV GANDHI UNIVERSITY

NOTIFICATION

Arunachal Pradesh, the 3rd April, 2017

No. ADM-01/SB/2000-01.—The following is Published for general information.—

ASSIGNMENT OF DEPARTMENTS AND CENTRES/INSTITUTES OF STUDIES

(Under Section 15(1) of Rajiv Gandhi University Act, 2006)

1. Faculty of Social Sciences

I. Department of Philosophy
II. Department of History
III. Department of Economics
IV. Department of Political Science
V. Department of Sociology
VI. Department of Tribal Studies
VII. Department of Anthropology
VIII. Centre for Tourism

IX. Centre for Women Studies

X. Centre for South and South-East Asian Studies

XI. Centre for Regional Development

XII. Centre for Human Rights and Duties

XIII. Centre for Population Studies

2. Faculty of Languages

I. Department of English

II. Department of Hindi

III. Department of Linguistics

IV. Centre for Foreign Languages

V. Centre for Language Teaching

3. Faculty of Education

I. Department of Education

II. Department of Psychology

III. Department of Teacher Education

IV. Centre for Adult and Continuing Education

V. Centre for Guidance and Career Counselling

VI. Centre for Educational Technology

4. Faculty of Commerce and Management Studies

I. Department of Commerce

II. Department of Business Management

5. Faculty of Environmental Sciences

I. Department of Geography

II. Department of Earth Sciences

III. Department of Bio-Environment\

IV. Centre for Chemical and Physical Environment

V. Centre for Disaster Management

VI. Centre for Remote Sensing Applications

6. Faculty of Law

I. Department of Law

II. Centre for Public Affairs

III. Centre for Intellectual Property and Indigenous Knowledge

7. Faculty of Physical Sciences

I. Department of Physics

II. Department of Mathematics

III. Department of Chemistry

8. Faculty of Life Sciences

I. Department of Botany

II. Department of Zoology

III. Department of Bio-Chemistry

IV. Department of Chemical and Physical Environment

IndiaCode

V. Centre for Wild Life Conservation

VI. Centre for Bio-Technology

VII. Institute of Bio-diversity

9. Faculty of Information Technology

I. Department of Computer Science

II. Department of Mass Communication

III. Department of Library Sciences

IV. Centre for Media and Cultural Studies

V. Centre for Journalism and Mass Communication (JMC)

VI. Centre for Video Applications and Advertising (VAA)

10. Faculty of Medicine

I. Medical College-cum-Hospital

II. Ayurvedic College-cum-Hospital

III. Homoeopathetic College-cum-Hospital

IV. College for Nursing

V. Centre for Herbal and Alternative Medicines

VI. Centre for Food, Nutrition and Hygiene

11. Faculty of Engineering and Technology

I. Engineering College

II. Centre for Applied

12. Any other Department/Centre established under a Faculty from time to time in the University.

IndiaCode

ESTABLISHMENT OF DEPARTMENTAL COUNCIL

(Under Section 31(1)(I) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006)

1. The Departmental Council shall consist of

 (i) The Head of the Department

 (ii) All the Teachers of the Department

2. The Head of the Department shall be the Chairperson of the Council and shall convene the meeting of the Council.

3. The powers and functions of the Council shall be as follows:

 (a) to co-ordinate the teaching and research work n the Department;

 (b) to decide on day-to-day activities of the Department;

 (c) to recommend to Vice-Chancellor the matters relating to courses of study;

 (d) to recommend to Vice-Chancellor the course structure of the programme (s) run in the Department and modification of the structure, if any;

 (e) to assess the progress of the coverage of the courses during the semester;

 (f) to decide sharing of courses taught by the faculty members;

 (g) to convey to the faculty members the decisions of meetings with the authorities of the University;

 (h) to conduct Departmental Research Committee Meetings as and when research proposals are submitted by scholars;

 (i) to provide guidance to the students of the Department on matters relating to course, examination and attendance eligibility, etc.;

 (j) to moderate the internal sessional awards before submitting to the Examinations Branch;

(k) to assess the physical requirements of the Department from time to time;

(l) to implement the directives given by the authorities of the University;

(m) to decide on all purchases relating to books, equipment, furniture, etc.

(n) to have the annual stock verification of the Department done by two teachers through rotation

4. (a) The Council shall meet at least twice in a semester.

(b) The notice for the meeting shall be served at least three days in advance, unless it is an emergency meeting.

5. Two third of the faculty members of the Department shall form the quorum for the meeting.

6. In case of differences within the Department or any specific issue, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor who will place it before the next Executive Council for a decision. In cases of emergency, the Vice-Chancellor shall decide on the issue and place it before the Executive Council for ratification.

THE DEANS' COMMITTEE

(Under Section 23 of Rajiv Gandhi University Act, 2006)

1. Short title

The University shall constitute a Committee of Deans of the University to be known as the Deans'Committee.

2. Constitution of the Committee

The Deans' Committee shall comprise of the following:

(i) The Vice-Chancellor – Chairman, (Ex-Officio)
(ii) All Deans of Faculties – Members, (Ex-Officio)
(iii) The Registrar – Secretary

3. Functions

The functions of this Committee shall be as follows:

(i) Selection of candidates for award of fellowships;

(ii) Recommend deputation of teachers for International Conferences/Study leave/Extra-ordinary leave;

(iii) Consider matters arising from conduct of examination, standard of teaching and Research;

(iv) Consider general administrative matters relating to functioning of Faculties and Departments; and

(v) Suggest to BPGS/Academic council the new courses/innovations to be introduced in the University;

(vi) Consider the proposals of the Departments concerning appointment of Professor of Emeritus/Visiting Professor/Fellow.

(vii) Decide the criteria for recognition of Supervisor/Co-Supervisor for the Ph.D. Research work and recommend the names of the Supervisor(s)/Co-Superviror(s);

(viii) Such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to by the Vice Chancellor.

4. Meetings

The meetings of the Committee shall be convened by the Chairman.

5. Quorum

The quorum of the Committee shall be one-half of the total members.

6. Rules of Business

The rules of conduct of meeting shall be as may be prescribed by Regulations in this regard.

IndiaCode

POWERS AND FUNCTIONS OF

THE DEANS OF FACULTIES

(Under Section 5 of Rajiv Gandhi University Act, 2006)

1. There shall be a Dean for each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professors in the Faculty for a period of three years on rotation by seniority and shall be eligible for re-appointment if there is only one Professor in the faculty.

2. A Dean of Faculty shall:

 (a) co-ordinate and generally supervise the teaching and research work in the Faculty through the Heads of the Departments;

 (b) maintain discipline in the Department(s) through the Head(s) of the Department(s);

 (c) recommend the teachers for attending refresher/Orientation course, conferences, posts applied in other University etc.

 (d) supervise the examinations related activities of the University pertaining to the concerned Faculty in accordance with such directions as may be given by the Vice Chancellor;

 (e) convene and preside over meetings of the Board of the Faculty and keep the minutes of the meetings of the Board ; and

 (f) perform such other academic/administrative duties as may be assigned to him/her by the Academic Council, the Executive Council or the Vice-Chancellor.

3. The Dean shall be an Officer of the University (as provided in the Act).

POWERS AND FUNCTIONS OF DIRECTOR OF COLLEGE DEVELOPMENT COUNCIL

(Under section 25 of Rajiv Gandhi University Act, 2006)

1. Objective:

The main objective of the creation of the post of College Development Council (CDC) shall be to provide a leadership role and extend help, guidance and advice to colleges affiliated to Rajiv Gandhi University.

2. The terms and conditions of appointment

i. The Vice-Chancellor shall appoint a Professor of the University Department as Director for a period of once academic year. The Vice-Chancellor may, however, reappoint him/her for the second term.

ii. The Director shall perform the duty on a fixed monthly honorarium as decided by the Executive Council.

iii. As Director, CDC is to liaise in matters of higher education between the University and Colleges and the State government, the intimation regarding appointment of Director be given to the Director, Higher Education, Secretary, Education; Govt. Of Arunachal Pradesh; MHRD, New Delhi and the Hon'ble Chancellor.

iv. All correspondences from the University on academic matters with the colleges shall originate from the CDC or shall be channelized through the office of the CDC.

v. He shall be a member of all committees constituted by the University in matters relating to college affairs.

vi. He shall be provided with an imprest fund; all infrastructural and other help like clerical, IV Grade Staff by the University.

3. Functions

The Director, CDC shall perform the following functions:

IndiaCode

(a) Specially help and advise the colleges to liaise with the UGC and other financial agencies, shall make available the information of various projects of the financial agencies to the colleges and shall extend help to prepare development projects to be financed by the State Government, UGC and other funding agencies.
(b) Generally represent the University in the Governing Bodies of all the Colleges and the Vice-Chancellor shall nominate the Director to that effect to establish cordial relationship of the University with the college authorities.
(c) Assess the development and academic needs of the Colleges and take steps to promote and encourage co-curricular activities in the colleges.
(d) Prepare up to date profile of each college and assess periodically the physical facilities in the affiliated colleges with reference to the number of students, faculties available and subjects taught and forward recommendations for their improvement to the State Government.
(e) Review the results of the affiliated colleges and suggest remedial measures for the improvement of general standard of education at college level.
(f) Arrange for timely and regular inspection of affiliated colleges and suggest corrective measures wherever necessary in consultation with the Vice-Chancellor.
(g) Advise the Vice-Chancellor in constituting Inspection Committees for starting new colleges, subject and according temporary/permanent affiliation. The Director, CDC shall be the Chairman of such Committees.
(h) Ensure close and continuous contact and interaction between the academic faculties at the University teaching department and colleges.
(i) Perform such other functions as may be assigned to him/her by the Academic Council, the Executive Council or the Vice-Chancellor.

4. Any difficulty arising out of these provisions shall be removed by the Vice Chancellor.

Prof. RACHOB TABA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./01/17]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.06 23:08:24 +05'30'